सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

विभागीय मेन्यूअल

जिला पंचायत राजगढ़(ब्यावरा)म.प्र.

बिन्दु कमाक 1

1. लोक प्राधिकरण के उद्वेश्य :– जिला पंचायत का मुख्य उद्वेश्य केन्द्र एंव राज्य शासन की विभिन्न योजनाओ को शासन के निर्देशानुसार कियान्वयन एवं आम नागरीक तक पहुचाना है।
2. लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :–जिला पंचायत का मुख्य उद्वेश्य मूलभूत अधोसंरचनाओ को आम नागरिक तक पहुचाए जिसके माध्यम से गाव की आर्थिक एंव सामाजिक स्थिति में सुधार आए तथा गरिब एंव पिछडे वर्ग के लौगो को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।
3. लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास एंव उसके गठन का प्रसग :–
4. लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :– शासन के विभिन्न कार्यो को जनपद एंव ग्राम पंचायत के द्वारा आम नागरिक तक पहुचाए एंव समस्त योजनाओ की प्रगति का विवरण राज्य एंव केन्द्र शासन को नियमित समय अवधि में पहुचाए ।
5. लोक प्राधिकरण के कृत्य :– शासन द्वारा समय –2 पर चलाई गई विभिन्न योजनाओ का कियान्वन प्रभावी रूप से जनपद एंव ग्राम पंचायत के माध्यम से एंव उन पर नियंत्रण रखना ।
6. लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत सेवाओ की सूची एंव उनका संक्षिप्त विवरण :–

1- **एस.जी.एस.वाय** :– योजना में प्रमुख उदृदेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को चयनित गतिविधियोके अन्तर्गत स्व–सहायता समूह एंव व्यक्तिगत प्रकरणो में ऋण एंव अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्वि करना है।

2- **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना** :– उक्त योजना का प्रमुख उद्देश्य गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण जरूरतमंद लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

3- इंदिरा आवास :– उक्त योजना का उदृदेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को आवास उपलब्ध कराना है ।

4- **राजीव गाधी जल ग्रहण क्षैत्र प्रबधन मिशन** :– इस कार्यकम की गतिविधियो से सूखे की स्थिति का सतुलन एंव कृषि योग्य भूमि का सुधार तथा क्षेत्र के अ.जा.एंव अ.ज.जा. तथा कमजोर वर्ग के लोगो की पहचान कर उन्हे आय मूलक गतिविधियो से जोडा जाता है।

5- **मध्यान्ह भोजन** :– इस महत्बकाक्षी योजना का मुख्य उदेश्य प्राथमिक शालाओ के छात्र/छात्रओ को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है । योजना लागू होने के बाद से छात्र एंव छात्रओ की उपस्थिति में वृद्वि हुई है।

6- **गोकुल ग्राम योजना** :– गोकुल ग्रामो में समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने और इन ग्रामो को सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु सुदृढता प्रदान करने के लिये समस्त विभागो की गतिविधियो /योजनाओ को संयोजित (Converge) कर इनका संधन और संमेकित कियान्वन किया जाना है।

7- **समग्र स्वच्छता अभियान** :– जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लिये स्वच्छ शौचालय का निर्माण करना, ग्रामीण महिलाओं के लिये महिला स्वच्छता परिसर/ स्वच्छता परिसर का निर्माण करना, शासकीय भवन वाली शालाओं में स्वच्छता परिसर का निर्माण।

8- **स्वजल धारा** :– जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कराई जाकर कूप, हेण्डपम्प, बोर, इत्यादी कार्य किये जाते है। इस हेतु भारत शासन से 90 प्रतिशत राशि स्वीकृत होने पर प्राप्त होती है। जिसे ग्रामीण क्षेत्रो में कार्य स्वीकृति उपरांत भूगतान कर दिया जाता है।

7. लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरो (शासन ,निर्देशालय , क्षैत्र , जिला ब्लाक आदि)पर संगठनात्मक ढॉचा

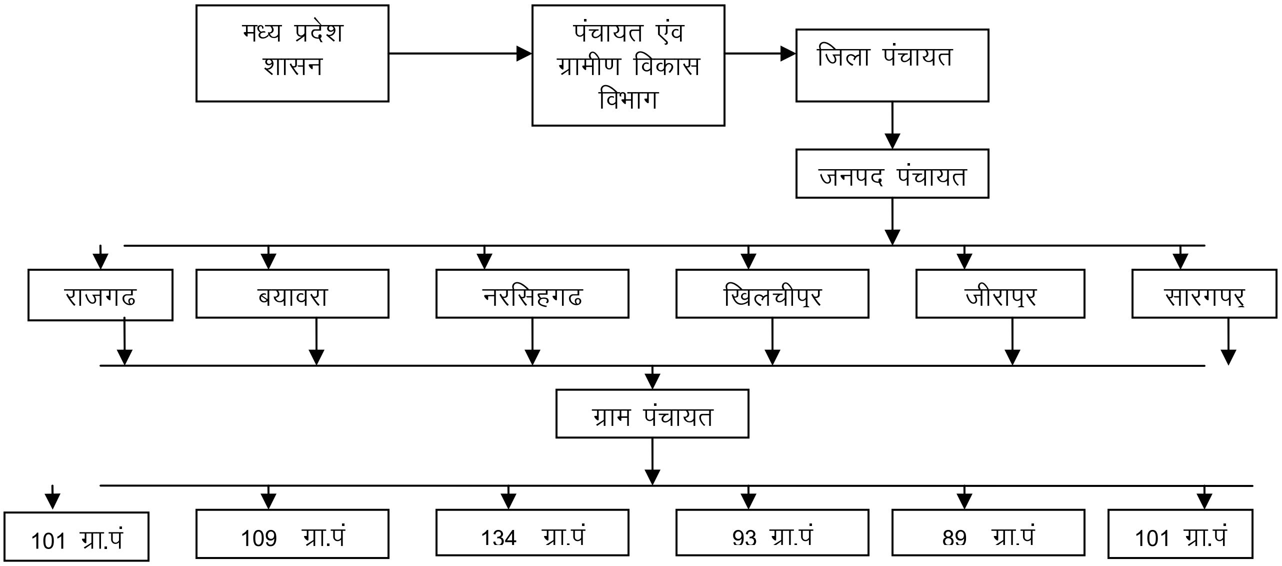

8. जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था
- ❖ सामान्य प्रशासन
- ❖ साधरण सभा

9. जन सेवाओ के अनुश्रवण एंव शिकायतो के निराकरण की व्यवस्था।
- ❖ शासन निर्देशानुसार

10. मुख्यालय कार्यालय तथा विभिन्न स्तरो पर कार्यालयो के पते (कृपया पतो का जनपदवार वर्गीकरण करे)
- ❖ मुख्य कार्यालय का पतः :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ राजगढ (ब्यावरा)म.प्र.
- ❖ जनपद कार्यालयो का पताः–
- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ
- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा
- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिहगढ
- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर
- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारगपुर
- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जीरापुर

11. कार्यालय का खुलने का समय :– प्रातः 10.30 बजे
12. कार्यालय का बन्द होने का समय :– सायः 5.30 बजे

बिन्दु कमाक 2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी ।

कमाक	नाम अधिकारी	पद का नाम	वेतन परिलब्धियां राशि
1	2	3	4
1	श्री एच. सी. गुप्ता	सी.ई.ओ. जिला पंचायत	19210.00/—
2	श्री पी. एल. गोयल	लेखा अधिकारी	14275.00/—
3	श्री उदयभान सिंह परिहार	पी. ओ. जिला पंचायत	18275.00/—
4	श्री एम.एल.खत्री	पी. ओ. जिला पंचायत	11213.00/—
5	श्री. एस.यू.शाहिद	ए. पी. ओ. जिला पंचायत	14051.00/—
6	श्री प्रफुल्ल जोशी	ए. पी. ओ. जिला पंचायत	12687.00/—
7	श्री अरुण कुमार भद्रावले	ए. पी. ओ. जिला पंचायत	13100.00/—
आर.ई.एस. स्टाफ जिला पंचायत राजगढ			
1	श्री. बी.जी.गोखले	ई.ई. ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	19026.00/—
2	श्री. बी.एल.घोषी	सहा.यंत्री. ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	17807.00/—
3	बी.के.श्रीवास्तव	उपयंत्री ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	13430.00/—
4	टी.एन.पोरवाल	उप यंत्री. ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	12938.00/—

कमाक	नाम कर्मचारी	पद का नाम	वेतन परिलब्धियां राशि
1	2	3	4
1	श्री बी. पी. वर्मा	अधीक्षक जिला पंचायत	11267.00/—
2	श्री ए. एल. शिवहरे	ए. एस. ओ. जिला पंचायत	11716.00/—
3	श्री. जी.पी.टेलर	स्टेनो जि.पं.	11993.00/—
4	श्री. एस.पी.द्विवेद्वी	लेखापाल जि.पं.	9475.00/—
5	श्री. के.पी.गुप्ता	सहा.ग्रेड–3 जि.पं.	9410.00/—
6	श्री. गोपालदास वेष्णाव	वाहन चालक जि.पं.	8554.00/—
7	श्री. अशोक मेवाडे	वाहन चालक जि.पं.	8674.00/—
8	श्री.कैलाश जाट	वाहन चालक जि.पं.	6447.00/—
9	श्रीमती किरण सक्सेना	सहायक ग्रेड –3 जि.पं.	8026.00/—
10	श्री. राधेश्याम मालवीय	सहायक ग्रेड –3 जि.पं.	5627.00/—
11	श्री. राजेश वर्मा	सहायक ग्रेड –3 जि.पं.	5627.00/—
12	श्री. विजय कुमार मेवाडे	भृत्य जि.पं.	5934.00/—
13	श्री. रमेश चन्द्र शर्मा	भृत्य जि.पं.	5934.00/—
14	श्री. प्रकाश चन्द्र नागर	भृत्य जि.पं.	5934.00/—
15	श्री. देवी सिह भिलाला	भृत्य जि.पं.	5210.00/—
16	श्री.रूप सिह	भृत्य कन्टेन्जैसी	2421/—
17	श्री. सुमित सक्सेना	डाटा इन्ट्री आपरेटर (संविदा)	5025/—

बिन्दु क्रमाक 3

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ति खोले जाने से निर्णय लेने तक) को रेखा चित्र की सहायता से दिखाया गया है ।

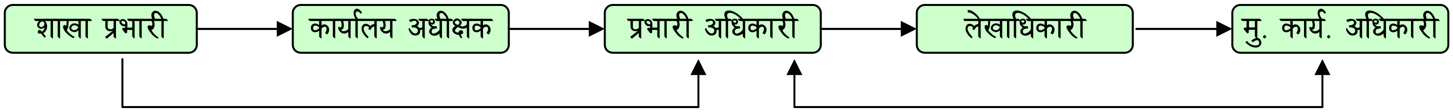

बिन्दु क्रमाक 4

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड तय किये जाने संबंधी जानकारी

(अ) भारत शासन एवं राज्य शासन से टारगेट (वित्तीय एवं भौतिक) प्राप्त होते है।

(ब)

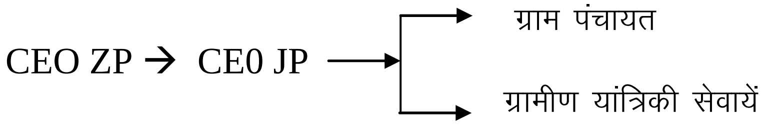

बिन्दु क्रमाक 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगूलेशन, मैन्यूअल की सूची –

क्रमाक	विधियो का नाम
1	म0.प्र0 जिला पंचायत (बजट अनुसार)नियम 1997
2	म0.प्र0 जिला पंचायत राज निधि नियम 1998
3	म0.प्र0 जिला पंचायत (कार्य)नियम 1998
4	म0.प्र0 जिला पंचायत (लेखा)नियम 1999

बिन्दु क्रमाक 6

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण

क्रमाक	*विवरण सूची*	*रिमार्क*
1	*2*	*3*
1	योजनावार लेजर का संधारण	
2	योजनावार केशबुकों का संधारण	
3	योजनावार आबंटन पंजियां	
4	योजनावार डेबिट व क्रेडिट व्हाउचर नश्तियां	
5	योजनावार निर्देश नस्तीयॉ	

बिन्दु कमाक 7

ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके संबंध में वांछित जानकारी

स0 क0	समिति का नाम	प्रतिनिधि का नाम	आदेश कमाक	निर्माण संबधी सर्कुलर	दायित्व / कर्तव्य
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य प्रशासन समिति	1. मा.पंण्डित हरिचरण तिवारी विधायक राजगढ 2. मा. श्री.मोहन शर्मा विधायक नरसिहगढ	4973		जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थापना ओर सेवाओ ,प्रशासन ,एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना बजट लेखे कराधान , श्रम तथा जन शक्ति नियोजन बाढ ,सूखा,भूक्म्प ओलावृष्टि अन्य ऐसी आपातिक स्थितियो से उत्पन्न होने वाली आपदाओ से राहत ।
2	कृषि समिति	1. मा. अमर सिह कोठार विधायक सारगपुर	4973		कृषि ,भू–राजस्व तथा पशुपालन ,विधुत शक्ति जिसमें मृदा संरक्षण और समोच्य वंधान (कंटूर वंडिग)सम्मिलन है के लिए और मत्स्यपालन ,कम्पोस्ट खाद बनाने बीज वितरण और कृषि एंव पशुधन विकास से सम्बन्धित अन्य विषयो के लिये।
3	शिक्षा समिति	1. मा. प्रियवृत सिह खीची विधायक खिलचीपुर	4973		शिक्षा के लिये जिसमे प्रोढ शिक्षा सम्मिलित है निशक्तो एंव निराश्रितो के सामाजिक कल्याण अश्पृश्यता निवारण मध त्याग या मध निषेध आदिम जाति तथा पिछडे वर्ग व हरिजन कल्याण तथा खेलकूद एंव युवक कल्याण के लिये।
4	संचार तथा सकर्म समिति	1. मा. अमर सिह कोठार विधायक सारगपुर	4973		संचार लधु सिचाई ग्रामीण गृह निर्माण तथा अन्य लोक सकर्मो के लिये।
5	सहकारिता और उधोग समिति	कोई नाम प्रस्तावित नही किया गया है।	4973		सहकारिता , मितव्यता और अल्प बचत कुटीर तथा ग्रामोधोग खाध तथा नागरिक आपूर्ति बाजार एंव सांख्यिकी के लिये।
6	स्वास्थ्य महिला एंव बाल कल्याण समिति	1. मा. प्रियवृत सिह खीची विधायक खिलचीपुर 2. मा. मोहन शर्मा विधायक नरसिहगढ	4973		लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता महिला एंव वाल कल्याण लोक स्वास्थ्य यांन्त्रिकी ग्रामीण जल प्रदाय तथा जल निकास के लिये।
7	वन समिति	कोई नाम प्रस्तावित नही किया गया है।	4973		सामाजिक वानिकी एकीकृत पंडत भूमि विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय उधान लधु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रमो के लिये।

❖ बैठक की आवृति :—

स0क0	समिति का नाम	बैठक की आवृति
1	सामान्य प्रशासन समिति	प्रति माह
2	कृषि समिति	प्रति माह
3	शिक्षा समिति	प्रति माह
4	संचार तथा सकर्म समिति	प्रति माह
5	सहकारिता और उधोग समिति	प्रति माह
6	स्वास्थ्य महिला एंव बाल कल्याण समिति	प्रति माह
7	वन समिति	प्रति माह

विशेष :— जिला पंचायत संम्मेलन प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बुलायेगा किसी माह में संम्मिलन बुलाने में असफल रहता है तो विगत सम्मिलन की तारिख के पश्चात 25 दिवस का अवसान होते ही सम्मिलन की सूचना जारी की जावेगी। (धारा 44 सम्मिलन की प्रक्रिया)

बिन्दु कमाक 8

कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड, परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहूत करने संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी

❖ जिला सर्तकता एंव मूल्यांकन समिति जिला स्तर पर गठित है। जिसके सदस्य निम्नासुार

1. श्री. रोडमल नागर पंचोर (सारगपुर) – एन.जी.ओ.सदस्य
2. डॉ. नरेन्द्र मालवीय, लीमचौहान (खिलचीपुर)–एस.सी./एस.टी. सदस्य
3. श्रीमति लाडबाई भंझडारी ,खुजनेर (राजगढ)–महिला सदस्य

❖ परिषद एंव समितियो के सदस्यो के नाम

1. कृषि समिति :–
   1. श्रीमति प्रकाश बाई
   2. श्री. बाल प्रसाद
   3. नन्द किशोर
   4. श्री बापू सिह तंवर
   5. श्रीमति मोना सुस्तानी
   6. श्रीमति गायत्री बाई
   7. श्री. कन्हैयालाल चौधरी

2. संचाार एंव सकर्म स्थाई समिति :–
   1. श्री. प्रेम सिह पंवार
   2. श्री.शिव नारायण बामलाबे
   3. श्री. नन्द किशोर भिलाला
   4. श्री. विश्राम सिह छायल
   5. श्रीमति अयोध्या बाई
   6. श्रीमति गायत्री बाई
   7. श्री. कन्हैयालाल चौधरी

3. सहकारिता तथा उधोग स्थाई समिति
   1. श्री. ओम प्रकाश पाटिदार
   2. श्री.बाला प्रसाद
   3. श्री. रमेश खटिक
   4. श्री. विश्राम सिह
   5. श्रीमति मोना सुस्तानी
   6. श्रीमति बल्लपबाई सोध्या
   7. श्री. कन्हैयालाल चौधरी

4. स्वास्थ्य महिला एंव बाल विकास समिति
   1. श्री. हॅजारी लाल दागी
   2. श्री.श्रीमति मोना सुस्तानी
   3. श्री. शिव नारायण वामलावे
   4. श्रीमति अयोध्या बाई
   5. श्रीमति गीता बाई
   6. श्रीमति प्रकाश बाई
   7. श्री. नन्द किशोर

5. वन स्थाई समिति
1. श्री. हॅजारी लाल दागी
2. श्री.श्रीमति बल्लवपकबाई सोध्या
3. श्री. शिव नारायण वामलावे
4. श्रीमति अयोध्या बाई
5. श्रीमति गीता बाई
6. श्री. विश्राम सिह छायल
7. श्री. रमेश खटिक

6. सामान्य प्रशासन समिति
1. श्री. ज्ञान सिह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत
2. श्री.लक्ष्मी नारायण पंचवारिया
अध्यक्ष शिक्षा स्थाई समिति सदस्य जिला पंचायत
3. श्री. बापू सिह तंवर अध्यक्ष कृषि स्थाई समिति सदस्य जिला पंचायत
4. श्री. प्रेम सिह तंवर अध्यक्ष संचार सकर्म समिति सदस्य जिला पंचायत
5. श्री. ओम प्रकाश पाटिदार अध्यक्ष सहकारित एंव उधोग समिति
6. श्रीमति अयोध्या बाई अध्यक्ष स्वास्थय एंव महिला वाल विकास समिति सदस्य जिला पंचायत
7. श्री. रमेश खटिक अध्यक्ष वन समिति सदस्य जिला पंचायत

7. शिक्षा समिति
1. श्री.लक्ष्मी नारायण पंचवारिया
2. श्री. हॅजारी लाल दागी
3. श्रीमति गायत्रीं बाई
4. श्रीमति बल्लबपवाई सोध्या
5. श्री. रमेश खटिक
6. श्रीमति प्रकाश बाई
7. श्री. बाला प्रसाद चंद्रवंशी

बिन्दु कमाक 9 एंव 10

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाएं की जानकारी ।

कमाक	नाम अधिकारी	पद का नाम	वेतन परिलब्धियां राशि
1	2	3	4
1	श्री एच. सी. गुप्ता	सी.ई.ओ. जिला पंचायत	19210.00/–
2	श्री पी. एल. गोयल	लेखा अधिकारी	14275.00/–
3	श्री उदयभान सिंह परिहार	पी. ओ. जिला पंचायत	18275.00/–
4	श्री एम.एल.खत्री	पी. ओ. जिला पंचायत	11213.00/–
5	श्री. एस.यू.शाहिद	ए. पी. ओ. जिला पंचायत	14051.00/–
6	श्री प्रफुल्ल जोशी	ए. पी. ओ. जिला पंचायत	12687.00/–
7	श्री अरुण कुमार भद्रावले	ए. पी. ओ. जिला पंचायत	13100.00/–
आर.ई.एस. स्टाफ जिला पंचायत राजगढ			
1	श्री. बी.जी.गोखले	ई.ई. ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	19026.00/–
2	श्री. बी.एल.घोषी	सहा.यंत्री. ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	17807.00/–
3	बी.के.श्रीवास्तव	उपयंत्री ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	13430.00/–
4	टी.एन.पोरवाल	उप यंत्री. ग्रा.या.सेवा. जि.पं. राजगढ	12938.00/–

कमाक	नाम कर्मचारी	पद का नाम	वेतन परिलब्धियां राशि
1	2	3	4
1	श्री बी. पी. वर्मा	अधीक्षक जिला पंचायत	11267.00/–
2	श्री ए. एल. शिवहरे	ए. एस. ओ. जिला पंचायत	11716.00/–
3	श्री. जी.पी.टेलर	स्टेनो जि.पं.	11993.00/–
4	श्री. एस.पी.द्विवेद्वी	लेखापाल जि.पं.	9475.00/–
5	श्री. के.पी.गुप्ता	सहा.ग्रेड–3 जि.पं.	9410.00/–
6	श्री. गोपालदास वेष्णाव	वाहन चालक जि.पं.	8554.00/–
7	श्री. अशोक मेवाडे	वाहन चालक जि.पं.	8674.00/–
8	श्री.कैलाश जाट	वाहन चालक जि.पं.	6447.00/–
9	श्रीमती किरण सक्सेना	सहायक ग्रेड –3 जि.पं.	8026.00/–
10	श्री. राधेश्याम मालवीय	सहायक ग्रेड –3 जि.पं.	5627.00/–
11	श्री. राजेश वर्मा	सहायक ग्रेड –3 जि.पं.	5627.00/–
12	श्री. विजय कुमार मेवाडे	भृत्य जि.पं.	5934.00/–
13	श्री. रमेश चन्द्र शर्मा	भृत्य जि.पं.	5934.00/–
14	श्री. प्रकाश चन्द्र नागर	भृत्य जि.पं.	5934.00/–
15	श्री. देवी सिह भिलाला	भृत्य जि.पं.	5210.00/–
16	श्री.रूप सिह	भृत्य कन्टेन्जैसी	2421/–
17	श्री. सुमित सक्सेना	डाटा इन्ट्री आपरेटर (संविदा) जि.पं.	5025/–

बिन्दु कमाक 11

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आबंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत एस.जी.एस.वाय. इंदिरा आवास योजना ग्रामीण आवास योजना हितग्राही मूलक योजना है जिसमे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है जिससे उनके अर्थिक विकास में वृद्वि हो सके । इस विभाग के अन्तर्गत जवाहर ग्राम समृद्वि योजना एंव रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत पहुच मार्ग स्टाप डेम तालाब निर्माण एंव पेयजल कूप आदि का निर्माण कराया जाता है जिससे एक ग्रामों का विकास होता है तथा दूसरी और बी.पी.एल. परिवारो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है।

विभाग में जो योजनाए क्रियान्वित होती है वह सभी योजनाए केन्द्र प्रवर्तित है इसमे स्वर्ण जयती ग्राम स्व–रोजगार योजना एस.जी.आर.वाय (रोजगार आश्वासन योजना, जवाहार ग्राम समृद्वि योजना) इंदिरा आवास योजना निर्धारित वार्षिक एलोकेशन आधारित योजना है। जिसमे निर्धारित वार्षिक एलोकेशन अनुसार राशि केन्द्र से 75 प्रतिशत तथा राज्य से 25 प्रतिशत के अनुपात में राशि प्राप्त होती है वाटर शेड योजना अन्तर्गत राशि सूखा उन्मूक्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंन्तर्गत प्राप्त होती है। यह मांग पर आधारित है अर्थात इस योजना के तहत राशि का उपयोग जितनी जल्दी किया जावेगा भारत सरकार अधिकाधिक राशि इस योजना के तहत प्रदाय करती है । जिला स्तर पर प्रशासन एंव निर्देशन योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियो को वेतन भत्ते एंव कार्यालय व्यय का प्रावधान है।

1. <u>जिला स्तर प्रशासन योजना :–</u>

एस.जी.एस.वाय. प्रशासन एंव निर्देश में डी.आर.डी.ए.(जिला पंचायत)अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन तहत स्वीकृत 41 पदो के विरूद्व कार्यरत अमले के वेतन भत्ते एंव कार्यालय व्यय हेतु की जाने वाली राशि के विरूद्व 30 प्रतिशत राशि कार्यालय के अन्य आक्स्मिक व्यय के रूप में खर्च करने का प्रावधान है।

<u>वर्ष 2004–05</u> में <u>12.89</u> राज्यांश प्रावधानित किया गया था जिसमें से रू. <u>12.89</u> व्यय किय गये थे।

<u>वर्ष 2005–06</u> में 51.54 लाख का प्रावधान रखा है जिसमे केन्द्राश 38.30 लाख एंव राज्यांश की राशि <u>13.54</u> है। माह जून 2005 तक राज्यांश रूपये 2.70 लाख व्यय हुए है। शेष राशि से आगामी माहो में कर्मचारीयो के वेतन भत्तो का भुगतान किया जावेगा।

<u>बर्ष 2006–07</u> में इस हेतु रू0 <u>14.04</u> राज्यांश प्रावधानित किया गया हैं । वेतन वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुए रू0 <u>0.50</u> लाख अधिक प्रावधानित किए गए है।

2. <u>स्वर्ण जंयती ग्राम स्व–रोजगार योजना</u>:–

योजना में प्रमुख उद्‌देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को चयनित गतिविधयो के अन्तर्गत स्व–सहायता समूह एंव व्यक्तिगत प्रकरणो में ऋण एंव अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्वि करना है।

उक्त योजना अन्तर्गत जो राशि शासन से प्राप्त होती है। उसका वितरण निम्नानुसार किया जाता है।

1.	अधोसरचना हेतु	–	20 प्रतिशत
2.	प्रशिक्षण हेतु	–	10 प्रतिशत
3.	रिवाल्विंग फण्ड	–	10 प्रतिशत
4.	रिस्क फण्ड	–	01 प्रतिशत
5.	अनुदान हेतु	–	59 प्रतिशत

योजना में व्यक्तिगत प्रकरणो में सामान्य हितग्राही को अनुदान राशि रू. 7500/– एंव अनुसूचित जाति एंव जनजाति के हितग्राहियो को अनुदान राशि रूपये 10000/– के ऋण राशि मे शामिल कर हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है ।

वर्ष 2004–05 में रू. 35.55 लाख राज्यांश प्रावधानित किया गया था जिसमें से रू. 35.55 लाख व्यय हुये थे।

वर्ष 2005–06 में राशि 168.63 लाख का बजट प्राबधान रखा गया है जिसमे केन्द्राश राशि 125.10 एवं राज्यांश की राशि 43.53 लाख है। जून 2005 तक राज्यांश रू. 2.56 व्यय हुये हैं। प्रकरण व्यवसायिक बैको एंव क्षैत्रिय ग्रामीण बैक (सीहोर राजगढ़ बैंक) में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सीहोर राजगढ़ बैंक) का सर्विस एरिया ज्यादा है परंतु उसने बीमार बैंक मानकर इस वर्ष प्रकरण स्वीकृत नहीं किये हैं।सभी बैको से इस संबघ में चर्चा की जा रही है जिससे आगामी माहों में प्रगति बढ़ेगी।

वर्ष 2006–07 में भी 43.53 राज्यांश राशि प्रावधानित की गई है।

3. राजीव गाधी जलग्रहण क्षैत्र प्रबधन मिशन :–

जलग्रहण प्रबधन मिशन के माध्यम से विभिन्न योजनाओ सूखा प्रवण क्षैत्र कार्यक्रम ,(डी.पी.ए.पी.) छटवा,सातवा, आठवां तथा नवां एंव दंसवा (हरियाली गाईड लाईन) प्रथम, द्वितिय बैच तथा एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) अन्तर्गत मृदा संरक्षण एंव जल सवर्घन के कार्य किये जातो है। इस कार्यक्रम की गतिविधियो से सूखे की स्थिति का सतुलन एंव कृषि योग्य भूमि का सुधार तथा क्षेत्र के अ.जा.एंव अ.ज.जा. तथा कमजोर वर्ग के लोगो की पहचान कर उन्हे आय मूलक गतिविधियो से जोडा जाता है।

डी.पी.ए.पी. :–

डी.पी.ए.पी. वर्ष 2004–05 में रू. 62.63 लाख राज्यांश प्रावधानित किये गये थे, जिसमें से रू. 62.63 लाख व्यय हुये।

डी.पी.ए.पी. वर्ष 2005–06 में रूपये 98.79 का बजट प्रावधान है। योजनान्तर्गत केन्द्राशं के रूप में 87.17 लाख तथा राज्यांश के रूप में 29.13 लाख है। जून 2005 तक राज्यांश रू. 18.60 व्यय हुये हैं। जून – जुलाई में क्षैत्र में अधिक कार्य हुये हैं।तथा आगामी माहो में प्रगति बढेगी ।

डी.पी.ए.पी. वर्ष 2006–07 हेतु रू0 86.35 लाख राज्यांश प्रावधानित किया गया है। डी.पी.ए.पी. के नवमें एंव दसवें बैच के प्रावधानो के अनुसार राशि प्रावधानित की गई है। जो क्रमशः बर्ष 2003–04 से 2007–08 एंव 2004–05 से 2008–09 तक प्रचलित रहेगा।

आई.डब्ल्यू डी.पी . :–

आई.डब्ल्यू डी.पी वर्ष 2004–05 में रू0 21.93 लाख राज्यांश प्रावधानित किये गये थे। जिसमे से रू0 21.93 लाख ही व्यय हुए थे।

आई.डब्ल्यू डी.पी वर्ष 2005–06 में रू0 178.58 लाख का प्रावधान हे। इसमे से केन्द्राश 163.70 एंव राज्यांश के रूप में 14.88 लाख का हे। जून 2005 तक राज्यांश रू0 8.65 व्यय किये गये है।

आई.डब्ल्यू डी.पी वर्ष 2005–06 में 15.00 लाख राज्यांश प्रावधानित किया गया है।

4. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :– (एस. जी. आर. वाय)

उक्त योजना का प्रमुख उद्देश्य गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण जरूरतमंद लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गिटटीकृत एंव मुरमीकृत सड़कों का निर्माण तथा जल संग्रहण संरचनाओं के कार्य लिये जाते हैं। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रावधान आधारित है। जिसमे केन्द्राश एंव राज्यांश 75:25 के अनुपात है। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से 20 प्रतिशत जिला स्तर पर ,30 प्रतिशत राशि जनपद स्तर पर एंव 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय की जाती है। जिला पंचायत एंव जनपद पंचायत स्तर पर उपलब्ध राशि में से 22.5 प्रतिशत रशि एंव ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध राशि में से 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति / जनजाति /के व्यक्तिगत हित0 पर व्यय करने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत प्राप्त खाधान्न का उपयोग मजदूरों को मजदूरी के रूप में कम से कम 60 प्रतिशत राशि खाधान्न के रूप में भुगतान करने के निर्देश है।

वर्ष 2004–05 में राज्यांश रू. 231.10 लाख प्रावधानित किया गया था, जिसमें से 231.10 लाख व्यय हुये थे।

वर्ष 2005–06 में 644.63 लाख केन्द्रांश एवं 214.88 लाख राज्यांश इस प्रकार कुल राशि रूपये– 859.51 लाख एवं 5986 मैट्रिक टन खाद्यान्न प्रावधानित है। माह जून 2005 तक राज्यांश रू0 83.06 व्यय किये गये है। शेष राशि से समस्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण किये जावेगे।

वर्ष 2006–07 के लिये रू0 226.26 लाख राज्यांश प्रावधानित है।

एस.जी.आर.वाय. परिवहन :–

वर्ष 2004–05 तक कोई राज्यांश राशि शासन से अनुमोदित नही होती थी । केन्द्राश से प्राप्त राशि में से ही खाधान्न परिवहन का व्यय किया जाता था।

वर्ष 2005–06 में प्रथम वार ही राज्यांश रू0 39.72 लाख अनुमोदित किये गये है। जून 2005 तक रू0 39.72 लाख व्यय हो चुके है।

वर्ष 2006–07 के लिये रू0 44.90 लाख प्रावधानित किए गये है।जो विगत वर्ष से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

5. इंदिरा आवास :–

उक्त योजना का उद्‌देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को आवास उपलब्ध कराना है ।

इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत भाग आवासहीन परिवारो के लिये नये आवास निर्माण करना है जिसमे प्रति हितग्राही को राशि रूपये 25000/– उपलब्ध कराये जाते है तथा शेष 20 प्रतिशत भाग की राशि रूपये 10000/– प्रति आवास के मान से कच्चे आवासो को पक्के आवासो में तब्दील करने पर व्यय किया जाता है।

वर्ष 2004–05 में राज्यांश राशि रू0 32.09 लाख प्रावधानित की गई थी जिसमे से रू0 32.09 लाख व्यय किये गये थे। इस राशि से 675 नवीन आवास एवं 337 उन्नयन आवास का लक्ष्य था।

वर्ष 2005–06 में 527.95 लाख का प्रवधान रखा गया है जिसमे केन्द्राश की राशि 395.96 लाख एंव राज्यांश की राशि रू0 131.99 लाख है। इस राशि से 1901 नवीन आवास एंव 528 आवासो का उन्नयन कार्य किया जावेगा। माह जून 2005 तक कोई राशि व्यय नहीं हुई है क्योंकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधित ग्राम सभा से अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुई थी,। आगामी माह में समस्त कार्य पूर्ण कर प्रावधानित राशि व्यय कर ली जावेगी।

वर्ष 2006–07 में इस कार्य हेतु 131.99 राज्यांश प्रावधानित किया गया है। इसमें से 1901 नवीन आवास एवं 528 आवास उन्नयन का कार्य कराया जावेगा।

6. गोकुल ग्राम योजना :–

म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 25.9.2004 से गोकुल ग्राम प्रक्लप का कियान्वयन प्रारंभ किया गया है। गोकुल ग्रामो में समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने और इन ग्रामो को सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु सुदृढता प्रदान करने के लिये समस्त विभागो की गतिविधियो /योजनाओ को संयोजित (Converge) कर इनका संधन और संमेकित कियान्वन किया जाना है।

वर्ष 2004–05 में कोई राशि राज्यांश के रूप में प्रावधानित नही की गई थी।

वर्ष 2005–06 में गोकुल ग्रामो में गोदान योजना के अन्तर्गत विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र कमाक 8019/1027/22/वि–1 भोपाल दिनांक 10.6.05 द्वारा रू0 8.97 लाख टापिंग आफ सब्सडी के रूप में आवंटित किये गये है।

बर्ष 2006–07 के प्राक्लन हेतु म.प्र. शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के पत्र कमाक 10954 /44 /22 /वि–1/ले.जो./05 दिनांक 30.7.2005 द्वारा राज्यांश की राशि रू0 100.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

7. 12 वां वित्त आयोग :–

12 वें वित्त आयोग में राज्यांश 467.79 प्रावधानित किया गया है। केंद्राश अप्राप्त है।

बिन्दु कमाक 12

विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची, हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था, वर्षवार आबंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या

❖ स्वर्ण जंयती स्व –रोजगार योजना :–

1.लक्षित समूहो का लाभान्वित करना ।

2.हितग्राहीयो का चयन गरीबो को स्व–सहायता समूहो में संगठित होने के लिये किया जाता है प्रत्येक समूह में 10–20 सदस्य का प्रावधान है। विकलागो के मामले में लौगो का समूह हो सकता है। ब्लाक विकास प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि बैक कर्मी तथा संरपंच को मिलाकर बनाई गई 3 सदस्यो की टीम स्व–रोजगारीयो के अन्तिम चयन के लिये दौरा कर चयनित बी.पी.एल. सदस्यो की सूची से वाछितो की सूची तैयार की जाती हैं एंव ए.डी.ओ. द्वारा बनाए गये समूहो का ऋण प्रकरण एंव एकल ऋण प्रकरण तैयार कर बैको को प्रेषित किया जाता है जो राज्य शासन के आदेशो एंव निर्देशो के तहत प्रकिया का पालन किया जाता है।

3. केन्द्र एंव राज्य द्वारा

4. केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एंव राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत

5. हितग्राहियो की संख्या

स्व–सहायता समूह –10 समूहो में 101 हितग्राही

गोदान योजना –163 सदस्य

6. जिला स्तरीय एस.जी.एस.वाय. समिति की बैठक त्रेमसिक किये जाने का प्रावधान है। एंव बैकर्स द्वारा डी.एल.सी.सी. की बैठक आयोजित की जाती है एंव कार्यवाही विवरण तैयार किया जाता है।

❖ इंदिरा आवास :–

1. ग्राम सभा द्वारा चयनित हितग्राही को गरिबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो को सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा जॉच उपरान्त बी.पी.एल. नम्बर प्रदाय किये जाते है।
2. वित्तीय सहायता देने वाली सस्था – केन्द्र एंव राज्य सरकार
3. वर्ष में आवंटित राशि– केन्द्राश 197.98 राज्यांश 65.99 है।
4. हितग्राहियो की संख्या – नवीन 1610 एंव उन्नयन 470 है।
5. जनपद पंचायत स्तर पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी संबन्धित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत स्तर से सहायक परियोजना अधिकारी एंव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समय–2 पर भ्रमण किया जाता है। जिला पंचायत विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में इस योजना की समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाती है।

बिन्दु कमाक 13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी।

- कार्यालय मे उपलब्ध

बिन्दु कमाक 14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची , श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी/ इलेक्ट्रानिक फार्म)

जिला पंचायत द्वारा कार्यालय में उपलब्ध निम्न जानकारी उपलब्ध है

- प्रशासकीय स्वीकृति आदेश
- व्यय संबधी जानकारी
- योजनाओ के संबध में कार्यवाईया
- अभिलेख

बिन्दु कमाक 15

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि

- सुविधा उपलब्ध नही है फिर भी ग्रामीण विकास विभाग से संबधित नियमो की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

बिन्दु कमाक 16

लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिला स्तर पर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ (ब्यावरा)म.प्र.	परियोजना अधिकारी जिला पंचायत राजगढ	कलेक्टर राजगढ

बिन्दु कमाक 17

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी का भी आलेखन किया जाये।

❖ ।

कार्यालय जिला पंचायत राजगढ द्वारा संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओ की जानकारी

1- एस.जी.एस.वाय :– योजना में प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को चयनित गतिविधयोके अन्तर्गत स्व–सहायता समूह एंव व्यक्तिगत प्रकरणो में ऋण एंव अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्वि करना है।

2- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :– उक्त योजना का प्रमुख उद्देश्य गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण जरूरतमंद लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

3- इंदिरा आवास :– उक्त योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को आवास उपलब्ध कराना है ।

4- राजीव गाधी जल ग्रहण क्षैत्र प्रबधन मिशन :– इस कार्यक्रम की गतिविधियो से सूखे की स्थिति का सतुलन एंव कृषि योग्य भूमि का सुधार तथा क्षेत्र के अ.जा. एंव अ.ज.जा. तथा कमजोर वर्ग के लोगो की पहचान कर उन्हे आय मूलक गतिविधियो से जोडा जाता है।

5- मध्यान्ह भोजन :– *इस महत्वकाक्षी योजना का मुख्य उदेश्य प्राथमिक शालाओ के छात्र/छात्रओ को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है । योजना लागू होने के बाद से छात्र एंव छात्रओ की उपस्थिति में वृद्वि हुई है।*

6- गोकुल ग्राम योजना :– गोकुल ग्रामो में समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने और इन ग्रामो को सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु सुदृढता प्रदान करने के लिये समस्त विभागो की गतिविधियो /योजनाओ को संयोजित (Converge) कर इनका संधन और संमेकित कियान्वन किया जाना है।

7- समग्र स्वच्छता अभियान :– जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लिये स्वच्छ शौचालय का निर्माण करना, ग्रामीण महिलाओं के लिये महिला स्वच्छता परिसर/ स्वच्छता परिसर का निर्माण करना, शासकीय भवन वाली शालाओं में स्वच्छता परिसर का निर्माण।

8- स्वजल धारा :– जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कराई जाकर कूप, हेण्डपम्प, बोर, इत्यादी कार्य किये जाते है। इस हेतु भारत शासन से 90 प्रतिशत राशि स्वीकृत होने पर प्राप्त होती है। जिसे ग्रामीण क्षेत्रो में कार्य स्वीकृति उपरांत भूगतान कर दिया जाता है।